235

20 COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

FILED

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, जबलपुर कैम्प जबलपुर (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका कमांक R/3974/I/2014

आवेदक : जिवेन्द्रनाथ आत्मज प्रभुनाथ मिश्रा निवासी– सीलादेही तहसील व जिला सिवनी वर्तमान निवासी वार्ड सिवनी जिला सिवनी (म0प्र0)

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर
शाखा 20
30 OCT 2014
कमिश्नर Commissioner अधीक्षक Supdt

बनाम

अनावेदकगण

1. दसरू आत्मज दरसिया गोंड
2. हरि पिता दुकलू गोंड
3. नरसिंह पिता बुद्धु गोंड
4. नरेश पिता नारायण प्रसाद सभी निवासी– ग्राम डुगंरिया, थाना कान्हीबाड़ा, तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0)

श्री एस0के0 सोनी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
30 OCT 2014
अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता

आवेदक न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभाग आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 646/बी–121/2013–14 जिवेन्द्र नाथ विरूद्ध दसरू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27/08/2014 से परिवोदित होकर आवेदक निम्न तथ्य एवं आधारों पर अपनी यह पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

429

OATHS FOR THE HIGH COURT JABALPUR

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदक भारतीय थल सेना में पूर्व में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक रहा है, आवेदक की सेवा अवधि के पश्चात् आवेदक द्वारा भारत सरकार को दी गई भूतपूर्व सेवाओं जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल रहा है, के परिपेक्ष्य में शासन के नियमानुसार आवेदक को उनके उदर पोषण हेतु सेवा निवृत्ति के पश्चात् कुछ भूमि पट्टे पर दी जाती है। जिस तारतम्य में आवेदक के कमाण्डिंग ऑफिसर द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी को लिखे गये पत्र कमांक 330002/82/ए द्वारा आवेदक को शासन की ओर से भूमि आवंटित किये जाने हेतु लेख किया गया।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सिवनी

प्रकरण कमांक – निग0 3974–एक/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 648/बी–121/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–8–14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को ग्राम डुगरिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर प्रकरण कमांक 39/ए/–19/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 30–10–1988 द्वारा दिया गया था। पट्टा दिये जाने के 22 वर्ष उपरांत आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर से अहस्तांतरणीय प्रविष्टि शब्द को विलोपित किए जाने का आवेदन पेश किये जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार, सिवनी ने प्रयकरण कमांक 207/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 11–6–10 द्वारा अहस्तांतरणीय शब्द को विलोपित किए जाने एवं अभिलेख दुरस्त किए जाने का आदेश यिा । इसके उपरांत आवेदक ने कुछ भूमि का विकय किये जाने हेतु कलेक्टर, सिवनी को आवेदन पेश कर विकय प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही उपरांत कलेक्टर, सिवनी के निर्देशानुसार पटवारी द्वारा एक बिकी प्रमाणपत्र दिनांक 1–7–10 को आवेदक के पक्ष में जारी किया गया जिसके आधार पर आवेदक ने 3.75 हैक्टर भूमि का विधिवत विकय पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर रवीन्द्र अग्रवाल एवं श्रीमती	

प्रकरण कमांक – निग0 3974–एक/14 जिला [redacted]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सरला चौकसे के पक्ष में किया गया और उक्त विकयपत्र के आधार पर केताओं का नामांतरण किया गया । अनावेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को पट्टे पर दिए जाने का आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया, जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15–7–09 द्वारा जांच उपरांत निरस्त किया । इसके उपरांत अनावेदकों द्वारा दिनांक 28–6–10 को आवेदक को जारी पट्टे को निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जिस पर कार्यवाही कर आदेश दिनांक 10–2–11 पारित करते हुए आवेदक को जारी पट्टा दिनांक 19–9–1993 के परिपालन में निरस्त होने के कारण भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 2–6–11 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के परिपालन में कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31–10–12 को आदेश पारित करते हुए पुनः भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की जो निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसके साथ स्थगन आवेदन पेश किया जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि अनावेदकों का प्रश्नाधीन भूमि	

BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3974–एक/14 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवधि बाह्य है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के वर्ष 1993 के आदेश के उपरांत कोई अधिकार विवादित भूमि पर नहीं रह जाते हैं अतः इस प्रकरण में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों के हैं वे उचित हैं अतः निगरानी निरस्त की जाये । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदक को विवादित भूमि का पट्टा शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिक होने से प्रदान किया गया था । पट्टा प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया है । इससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्णित भूमि को वैधानिक तरीके से धारण किया गया है । संहिता की धारा 117 के अनुसार कब्जे की उपधारणा आवेदक को प्राप्त होती है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभीय अधिकारी के वर्ष 1993 के आदेश के उपरांत भी आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2012 तक दर्ज रहा और गैर पुनरीक्षणकर्ता दसरू वगैरह द्वारा भूमि शासन में दर्ज करने की मांग की जिस पर आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि दसरू वगैरह पुनरीक्षणकर्ता को प्रताड़ित करने एवं उस पर अवैध दबाव बनाने के लिए मिथ्या	

प्रकरण कमांक – निग0 3974–एक / 14 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही कर रहे हैं और भूमि शासन में दर्ज करना त्रुटिपूर्ण है । 6/ अभिलेख से यह भी पाया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पटवारी द्वारा उसके नाम की भूमि के विकय का प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने के कारण पुनरीक्षणकर्ता को बिकी प्रमाणपत्र जारी किया तथा बिकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कुछ भूमि रविन्द्र अग्रवाल एवं श्रीमती सरला चौकसे को विकय की गई तत्समय के खसरे एवं ऋण पुस्तिका में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था जो यह प्रमाणित कर्ता है कि पश्चातवर्ती समय में आवेदक की संपत्ति के साथ अहस्तांतरणीय प्रविष्टि जोड़ी गई है । 7/ संहिता की धारा 158 में वर्ष 1992 में हुए संशोधन के फलस्वरूप धारा 158 (3) अंतस्थापित कर सभी पट्टाधारियों को आवंटन की तारीख से भूमिस्वामी माना जायेगा यह प्रावधान किया गया है तथा अंतरण पर 10 वर्ष का बंधन रहेगा यह प्रावधान किया गया है इस विधिक स्थिति को भी अनदेखा किया गया है । आवेदक द्वारा जो विकयपत्र निष्पादित किया गया है वह वर्ष 2010 में अर्थात 22 वर्ष उपरांत किया गया है जिसकी अवधि स्वीकृत तौर पर 10 वर्षों से अधिक के अंतराल की रही है । जहां तक आवेदक की भूमि पर अहस्तांरणीय प्रविष्टि अंकित करने का प्रश्न है उक्त प्रविष्टि आयुक्त, भू–अभिलेख के पत्र दिनांक 3–10–2008 के अनुसार जनवरी 1999 के बाद पट्टे पर दी गई भूमि के कॉलम नं. 12 में 10 वर्ष तक की अहस्तांतरणीय पविष्टि लिखने जाने बावत निर्देश दिए गए हैं जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक को पट्टा 3–10–1988 को जारी होने के कारण इस बंधन की परिधि में नहीं आता है अतः संहिता की धारा	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3974–एक/14 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	158 (3) में हुए संशोधन पर विचार करने से विधिक स्थिति स्पष्ट है कि पुनरीक्षण कर्ता को वर्ष 1988 में प्राप्त भूमि पर अहस्तांतरणीय का बंधन लगाया जाना त्रुटिपूर्ण है । 8/ इस प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के आवेदन पर की गई है जबकि उनका कोई हित वादग्रस्त संपत्ति में न तो रहा और न ही उनका नाम कभी उक्त भूमि पर दर्ज रहा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य को भी विचारण में नहीं लिया गया कि अनुविभीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–9–1993 के परिपालन में अनावेदकों द्वारा 12 वर्ष के भीतर तक नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु 17 वर्ष उपरांत दुर्भावनापूर्वक परिसीमा बाह्य आवेदन पेश किया गया जोकि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अनुसार अवधि बाधित था । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2008 आर0एन0 357 अवलोकनीय है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की यह अवधारणा न्याय सिद्धांत के विपरीत है कि आवेदक द्वारा 1993 से वर्तमान दिनांक तक शासकीय अभिलेखों में संशोधन का फायदा उठाकर भूमि का विक्रय किया गया है, जबकि इसके विपरीत स्वयं आवेदक द्वारा दिनांक 25–10–2010 को पट्टा प्राप्ति के 22 वर्षों के पश्चात राजस्व न्यायालय में स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर पट्टे से अहस्तांतरणीय शब्द	

जिला –

प्रकरण कमांक – निग0 3974–एक/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विलोपित किये जाने एवं विक्रय किये जाने का निवेदन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कभी अपनी स्थिति का अनुचित लाभी उठाने का प्रयास नहीं किया गया है । उक्त तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–12, अपर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–14 एवं अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील कमांक 646/बी–121/13–14 में प्रचलित कार्यवाही विधिसम्मत न होने से समाप्त की जाती है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम तथा उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों से पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर विक्रय की गई भूमियों पर केतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

पक्षकार सूचित हों ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर